

General Instructions for the Candidates of Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination, 2023 (PAPER-I)

1. The candidates are advised to reach centre as per the time slot indicated against Reporting/ Entry time in the admit card.
2. Candidates should note that no candidate will be allowed entry after the entry closing time in any circumstance or due to any reason. Gates will be closed strictly at entry closing time.
3. Candidates should invariably bring the following at the time of reporting for the examination:
 - (a) **Admission Certificate**
 - (b) Two copies of their **latest coloured passport size photograph** (3 cm x 3.5 cm).
 - (c) At least one **valid photo bearing identity proof in ORIGINAL** with clear photograph (Eligible photo identity proofs such as 1. Passport, 2. Aadhaar Card/Print out of e-Aadhaar, 3. Driving License, 4. Service ID Card issued to employees by Central Govt./State Govt./ PSUs, 5. ID Card issued by University/College/School 6. Voter's ID Card, 7. PAN Card, 8. Ex-Servicemen Discharge Book issued by Ministry of Defence, 9. Any other Photo Identity Proof issued by Central Govt./ State Govt.).
 - (d) If the Photo Identity Card does not contain the complete Date of Birth, then the candidate must carry an additional original document having the Date of Birth as printed on the Admission Certificate(e.g. Admit Card/ Pass Certificate/ Marks Sheet of 10th Class issued only by CBSE/ ICSE/ State Boards; Birth Certificate, Category Certificate etc. issued only by Central Govt. / State Govt. / PSUs). **In case of a mismatch in the Date of Birth mentioned in the Admission Certificate and Photo ID Proof/ the Certificate brought in support of Date of Birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination.**
4. No candidate will be allowed to leave the examination hall before the completion of the examination time for any reason without permission from the exam Functionaries. Once a candidate leaves the hall without the permission of the exam functionaries, he/she shall not be allowed to re-enter the examination lab and his/her candidature shall be cancelled.
5. Candidates shall be permitted to appear in the exam only at the venue as specified in the Admission Certificate.
6. Candidates are advised to visit the exam venue at least one day in advance so that they can reach the examination venue on the date of exam in time.
7. Candidates must ensure that they do not appear in the examination more than once. Otherwise candidature of such candidates would be cancelled and appropriate action will be taken against them.
8. Candidature of candidates is purely provisional. It is advised that candidates should satisfy themselves that they fulfil all the eligibility conditions. If at any stage, it is found that a candidate does not fulfil any of the eligibility conditions, his/her candidature shall be cancelled.
9. Prohibited items such as watches, books, pens, paper chits, magazines, electronic gadgets (mobile phones, Bluetooth devices, head phones, pen/ buttonhole/ spy cameras, scanner, calculator, storage devices etc) are strictly not allowed in the examination lab. If any such item is found in the possession of a candidate in the examination lab, his/her candidature is liable to be cancelled and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her. He/she would also be liable to be debarred from appearing in future examinations of the Commission as per extant rules.
10. Candidates should avoid wearing items like nose pins, bracelets, earrings, charms, kadas etc. In case, religion/ customs require candidates to wear specific attire, the frisking may take more time and therefore candidates should report at the venue of examination early.

11. Candidates are advised not to bring bags and prohibited items into the examination venue. In case they bring any such item, they would have to make their own arrangements for safe custody of such items. The Commission will not be liable to make any arrangement for safe custody of any such item.
12. Pen and paper for rough work would be provided in the examination lab.
13. All Exam Labs are under Video Surveillance.
14. Electronic watch (timer) will be available on the computer screen allotted to candidates.
15. Candidate should ensure that they do not indulge in any unfair means and shall also not talk to each other after commencement of the exam and during its entire duration.
16. Candidate shall have to undergo the process of contactless Frisking through Handheld Metal Detector (HHMD).
17. Candidate must strictly abide by the instructions given by the Exam Functionaries (Centre Supervisor / Invigilator, etc).
18. Candidate should ensure that they provide clear Left Thumb Impression (LTI), Certification Statement in their running handwriting and signature on Commission's Copy of Admission Certificate.
19. If any candidate is found obstructing the conduct of the examination or creating disturbances at the examination venue, his/her candidature shall be summarily cancelled. Such candidate shall also be liable to be debarred from future examinations of the Commission and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her. It may be noted that no re-examination would be conducted if it is found that the examination was disrupted on account of instigation by the candidates.
20. If the examination does not commence at the scheduled time or is interrupted midway due to any technical snag or for any other reason, candidates should follow the instructions of the exam functionaries. They may have to wait patiently till the issue is suitably addressed and resolved. The Commission would take an appropriate action and decision in the matter which would be final and would be binding on candidates in case the exam could not be completed.
21. Candidates are assured that in case of disruption of examination for any reason such as major/minor technical snag or slow speed of server/breakdown of server etc., they will not, under any circumstances, lose the examination time to which they are entitled.
22. Candidates are advised to report to the concerned Regional Office/ Commission, in case they notice any irregularity during conduct of examination. The identity of such candidates will be kept confidential.
23. Eligible PwD candidates are entitled for compensatory time of 20 minutes per hours and assistance of scribe.
24. PwD candidates, other than those affected by blindness and cerebral palsy, who have opted for the facility of scribe and/or Compensatory time in their application form are required to produce certificate as per Annexure-I or Annexure-IA of the Notice of Examination for availing the facility of scribe.
25. Candidates opting for own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking the examination. Such candidates shall be required to submit details of the own scribe in proforma at Annexure-II or Annexure-IIA of the Notice of Examination. In addition, the scribe has to produce a valid ID proof (as per list given at Para-15.8 of Notice of Examination) in original. A photocopy of the ID proof of the scribe signed by the candidate as well as the scribe is required to be submitted along with proforma at Annexure-II/Annexure-IIA.
26. Scribe arranged by the PwD candidate should not be a candidate of this examination otherwise candidatures of both the candidates will be cancelled.
27. One eyed candidates and partially blind candidates, who are able to read the normal Question Paper set with or without magnifying glass and who wish to write/indicate the answer with the help of magnifying glass, will be allowed to use the same in the Examination Hall and will not be entitled to a Scribe. Such candidates will have to bring their own Magnifying Glass to the Examination Hall.
28. If any candidate is found in inebriated state that candidate will not be allowed entry to the venue.

29. In case of any doubt or clarification, the candidates are advised to contact the concerned Regional Office of the Commission personally or through the Helpline Numbers as indicated in the Admission Certificate.

**दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशत्र पुलिस बल में उप – निरीक्षक परीक्षा, 2023 (पेपर - I), के अभ्यर्थियों
के लिए सामान्य निर्देश**

1. अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग/प्रवेश-समय में निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पहुंचने की सलाह दी जाती है।
2. अभ्यर्थी ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में या किसी कारण से प्रवेश-समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश बंद करने के समय गेट सख्ती से बंद कर दिए जाएंगे।
3. परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः निम्नलिखित अपने साथ लाना है:
 - (क) प्रवेश-पत्र
 - (ख) पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटों की दो प्रतियां (3 सेमी x 3.5 सेमी)।
 - (ग) कम से कम एक वैध फोटोयुक्त पहचान प्रमाण मूल में स्पष्ट फोटो के साथ (अपेक्षित फोटो पहचान-प्रमाण जैसे कि 1. पासपोर्ट, 2. आधार कार्ड /ई-आधार का प्रिंट आउट, 3. ड्राइविंग लाइसेंस, 4. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, 5. विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र, 6. मतदाता पहचान-पत्र, 7. पैन कार्ड, 8. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक निर्मुक्ति पुस्तक, 9. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण।
 - (घ) यदि फोटो पहचान पत्र में पूर्ण जन्मतिथि नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना है जिसमें जन्म तिथि वहीं हो जैसा कि प्रवेश-पत्र में मुद्रित है (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा का प्रवेशपत्र/पास प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र आदि)। यदि प्रवेश-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समय की समाप्ति से पहले परीक्षा हॉल से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना परीक्षा हॉल से निकलता है, तो उसे हॉल में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
5. अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।
6. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि वे परीक्षा की तारीख को परीक्षा स्थल पर समय पर पहुंच सकें।
7. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना है कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न रहें। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
8. अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतया अनंतिम है। यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा हॉल में निषिद्ध वस्तुएं जैसे- घड़ी, किटाबें, पेन, पेपर चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेड फोन, पेन/बटनहोल/ स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस) आदि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। यदि परीक्षा हॉल में अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। वर्तमान नियमों के अनुसार उस अभ्यर्थी को आयोग की भावी परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा।
10. अभ्यर्थियों को नोज़-पिन, कंगन, झुमके, चार्म्स (charms), कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को पहनने से बचना चाहिए। यदि धर्म/रीत-रिवाजों के लिए अभ्यर्थी को विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है, तो तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना होगा।
11. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निषिद्ध वस्तुएं न लाएं। यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी। आयोग ऐसी किसी भी वस्तु की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
12. रफ़ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा हॉल में उपलब्ध कराया जाएगा।
13. सभी परीक्षा हॉल सीसीटीवी के निगरानी में है।
14. अभ्यर्थियों को आवंटित कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी (टाइमर) उपलब्ध होगी।
15. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और परीक्षा शुरू होने पर और इसकी पूरी अवधि के दौरान एक-दूसरे से बात नहीं करें।
16. अभ्यर्थी को हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के माध्यम से संपर्क रहित तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
17. अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों (केंद्र पर्यवेक्षक/परीक्षकआदि) द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
18. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आयोग की प्रति पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई), चालू लिखावट (रनिंग हैंडराइटिंग) में प्रमाणन व्यक्त करें और हस्ताक्षर प्रदान करें।
19. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है या परीक्षा स्थल पर गडबड़ी करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को आयोग की भावी परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। यह ध्यान दें कि यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा उकसाने के कारण परीक्षा बाधित हुई थी, तो परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी।
20. यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या बीच में बाधित होती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होगा। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक मामले में उचित कार्रवाई करेगा एवं निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।
21. अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान के मामले जैसे- गंभीर/मामूली तकनीकी बाधा या सर्वर की धीमी गति/ सर्वर का संपर्क टूटना आदि होने की स्थिति में उनके परीक्षा के समय की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, जिसके बाद होना है।

22. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/आयोग को इसकी सूचना दें। ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
 23. पात्र दिव्यांगजन अभ्यर्थी 20 मिनट प्रति धंटे के प्रतिपूरक समय और प्रलिपिक की सुविधा के हकदार होंगे।
 24. दृष्टिहीनता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(सेरेब्रल पाल्सी) से प्रभावित अभ्यर्थियों के अलावा, जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में प्रलिपिक और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का विकल्प चुना है, उन्हें प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के लिए परीक्षा सूचना के अनुबंध-I एवं अनुबंध-IIA के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 25. यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के समय अनुबंध-II/ अनुबंध II A पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यारे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा15.8. पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंध-II/ अनुबंध II A पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 26. दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा प्रलिपिक की व्यवस्था इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए अन्यथा दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 27. एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आशिंक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-प्रत्र पढ़ने में सक्षम हैं और आवर्धक लैंस की सहायता से उत्तर लिखना/अंकित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा हॉल में आवर्धक लैंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में अपना आवर्धक लैंस लाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 28. किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश-पत्र में दिए गए हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें।
-